फर्द अहकाम

सरकार बनाम तहसीलदार

नाम न्यायालय

केस संख्या 64/19

2019/007798

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25-3-19	प्रार्थना-पत्र तहसीलदार चाकसू के पत्र सं. 742 दि. 12-2-19 के द्वारा 176 के तहत प्रकाश प्रस्तुत किये जाने पर प्रकाश दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकाश का अवलोकन किया गया तो ग्राम सांवलिया की जमाबन्दी सं. 2073-76 के खाता सं. 1 में आराजी 1219/2478 रकबा 002 है. दर्ज है जो अशुद्ध है जबकि राजस्व नक्शे में 1239/2478 दर्ज है, जिसमें जमाबन्दी 2051-70 की खाता सं. 286 में भी 1219/2478 दर्ज जो अशुद्ध है जिसे राजस्व नक्शे के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थी तहसीलदार को अनुसंधान एवं राजस्व नक्शे के अनुसार संशोधन किया जाकर ग्राम सांवलिया की जमाबन्दी संवत 2073-76 के खाता सं. 1 के आराजी 1219/2478 के स्थान पर राजस्व नक्शे 1239/2478 शुद्ध दर्ज किये जाने के [illegible] के अनुसार [illegible] पालना शुद्ध दर्ज [illegible] उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार के [illegible] बाद तथ्यात्मक तामिल [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.15 17:03:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)